

“विज्ञान पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 10 जून 2023 — ज्येष्ठ 20, शक 1945

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-46/2019/34-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम-8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाये।
- नियम-9 के उप-नियम (7) का लोप किया जाये।
- नियम-13 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
“(1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।”
- नियम-20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
“20. परीक्षा.— सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।”
- अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 4, 6, 9 एवं 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	37	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600
9.	जल वैज्ञानिक (हार्डड्रेजियोलाजिस्ट)	04	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600
11.	सहायक अभियंता (सिविल)	131	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400”

6. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	मुख्य रसायनज्ञ (चीफ केमिस्ट)	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400
17.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400"

7. अनुसूची-एक के नीचे टीप एवं तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित टीप एवं तालिका प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

"टीप:- अधिसमय-वेतनमान की स्थिति में,-

तालिका

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	समयमान वेतनमान हेतु पात्रता की कालावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	सहायक अभियंता (सिविल)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	प्रथम 08 वर्ष
		15600-39100	7600	द्वितीय 16 वर्ष
		37400-67000	8700	तृतीय 30 वर्ष
2.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	प्रथम 08 वर्ष
		15600-39100	7600	द्वितीय 16 वर्ष
		37400-67000	8700	तृतीय 30 वर्ष
3.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	प्रथम 08 वर्ष
		15600-39100	7600	द्वितीय 16 वर्ष
		37400-67000	8700	तृतीय 30 वर्ष"

8. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 4, 6, 9 एवं 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12	-	100%	-	-
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	37	-	100%	-	-
9.	जल वैज्ञानिक (हार्डड्रोजियोलाजिस्ट)	04	-	-	100%	-
11.	सहायक अभियंता (सिविल)	131	27 %	73 %	-	73 % पद निम्नानुसार भरे जायेंगे :- (एक) 70% पद उपअभियंता द्वारा भरे जायेंगे। (दो) 03% पद मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार द्वारा भरे जायेंगे।

16.	मुख्य रसायनज्ञ (चीफ केमिस्ट)	01	—	100%	—	—
17.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	—	100%	—	—

9. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"16.	मुख्य रसायनज्ञ (चीफ केमिस्ट)	01	—	100%	—	—
17.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	—	100%	—	—

10. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 11 उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	10 वर्ष	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	—तदैव—
13.	रसायनज्ञ (केमिस्ट)	10 वर्ष	मुख्य रसायनज्ञ (चीफ केमिस्ट)	—तदैव—

11. अनुसूची-चार की टीप के सरल क्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(4) ऐसे सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं रसायनज्ञ (केमिस्ट) पदोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिनके पास संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता हों।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 6th June 2023

NOTIFICATION

No. F 1-46/2019/34-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Health Engineering (Gazetted) Service Recruitment Rules 2014, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,—

- Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.
- Sub-rule (7) of rule 9 shall be omitted.
- For sub-section (1) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(1) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years."
- For rule 20, the following shall be substituted, namely:-
"20. Probation.- Every person posted be promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of two years."
- For Serial number 4, 6, 9 and 11 and entries relating thereto of Schedule-I, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4.	Superintending Engineer (Civil)	12	Class-I	15600-39100	7600
6.	Executive Engineer (Civil)	37	Class-I	15600-39100	6600
9.	Water Scientist (Hydro Geologist)	04	Class-I	15600-39100	6600
11.	Assistant Engineer (Civil)	131	Class-II	15600-39100	5400"

6. After serial number 15 and entries relating thereto of Schedule-I, the following serial number shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	Chief Chemist	01	Class-II	15600-39100	5400
17.	Computer Programmer	01	Class-II	15600-39100	5400"

7. Below schedule-I, for the Note and Table, the following Note and Table shall be substituted, namely:-
Note:- In case of super time scale, -

TABLE

S. No.	Name of the post included in service	Pay Scale	Grade Pay	Period of eligibility for time scale pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Engineer (Civil)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	1st 08 year
		15600-39100	7600	2nd 16 year
		37400-67000	8700	3rd 30 year
2.	Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	1st 08 year
		15600-39100	7600	2nd 16 year
		37400-67000	8700	3rd 30 year
3.	Assistant Engineer (MIS)	15600-39100	5400	-
		15600-39100	6600	1st 08 year
		15600-39100	7600	2nd 16 year
		37400-67000	8700	3rd 30 year"

8. For serial number 4, 6, 9 and 11 and entries relating thereto of Schedule-II, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"4.	Superintending Engineer (Civil)	12	-	100 %	-	-
6.	Executive Engineer (Civil)	37	-	100 %	-	-
9.	Water Scientist (Hydro Geologist)	04	-	-	100 %	-
11.	Assistant Engineer (Civil)	131	27 %	73 %	-	73 % post shall be filled up as follows:- (i) 70 % post shall be filled by Sub Engineer. (ii) 03 % post shall be filled by Head Draftsman/Draftsman."

9. After serial number 15 and entries relating thereto of Schedule-II, the following serial number shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"16.	Chief Chemist	01	-	100%	-	-
17.	Computer Programmer	01	-	100%	-	-"

10. After serial number 11 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following serial number shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12.	Assistant Computer Programmer	10 Years	Computer Programmer	--do--
13.	Chemist	10 Years	Chief Chemist	--do--"

11. After serial number (3) of Note of Schedule-IV, the following serial number shall be added, namely:-
 "(4) Such Assistant Computer Programmer and Chemist are eligible for promotion, who possesses prescribed educational qualification for the concerned post."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 KAMLESH BANSOD, Deputy Secretary.